

भारतीय जाति व्यवस्था में निषादों की स्थिति

* डॉ० भावना लाल, डॉ० संजीव कुमार

अस्सिस्टेन्ट प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग
रामकृष्ण महाविद्यालय रानूखेड़ा फर्रुखाबाद
अस्सिस्टेन्ट प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग
शान्ति निकेतन महाविद्यालय फर्रुखाबाद

Abstract: भारतीय सामाजिक संरचना का निर्माण मूलतः ग्रामीण एवं शहरी समुदायों में निवास करने वाली हजारों जातियों एवं उपजातियों से हुआ है। विभिन्न धार्मिक समूह या सम्प्रदाय (पन्थ) इन्हीं जातियों के बीच क्रीड़ा करते हुए दिखाई देते हैं। यही कारण है कि भारतीय समाज को अक्सर "एक जातिगत समाज" कहकर परिभाषित कर दिया जाता है। यहां के लोगो की मूल पहचान जाति की रही है। वे पहले अपनी जाति के होते हैं और बाद में बौद्ध, जैन,सिक्ख, वैष्णव अथवा हिन्दू के रूप में उनकी पहचान बनती है। यहां मुसलमान और इसाई भी धार्मिक समूह के अर्थ में कम, जाति के अर्थ में अधिक पहचाने जाते हैं। भारत में जब विश्व की प्राचीनतम पुस्तक ऋग्वेद की कविताओं (ऋचाओं) में जाति के संकेत मिलते हैं। वहां पर जाति के लिए 'जाति' तथा 'सजात' जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। वेदों में कर्मकार (लोहार), नापित (नाई), कूर्मि (कृषक), निषाद (मल्लाह), चर्मकार जैसी जातियों का उल्लेख हुआ है। ब्राह्मण ग्रन्थ और धर्मसूत्र तो जैसे जातीय निषेधों एवं अधिकारों की सीमा रेखा खींचते हुए दिखायी देते हैं। रामायण, महाभारत तथा अन्य इतिहास ग्रन्थों में जाति व्यवस्था तथा उसके अधिकार एवं कर्तव्यों के साथ ही निषेधों का स्पष्ट क्रियात्मक रूप देखने को मिलता है। स्मृति ग्रन्थ तो जैसे वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था की रक्षा के लिये विधि विधान अथवा संविधान के रूप थे। जैन तथा बौद्ध धर्म एवं चार्वाक दर्शन का उदय ही ब्राह्मणवादी जातीय तथा धार्मिक व्यवस्थाओं के विरुद्ध एक क्रान्तिकारी आन्दोलन के रूप में हुआ था। चाणक्य द्वारा अर्थशास्त्र की रचना में जाति का विचार किया गया है। पुराण सहित अन्य अनेक प्राचीन धार्मिक साहित्य में जाति एवं वर्ण के अधिकार तथा निषेधों की व्यवस्था एवं उनके सुरक्षा की योजना दिखाई देती है, जहां राजा के महत्वपूर्ण कार्यों में जाति एवं वर्ण की रक्षा करना उनका प्रमुख कार्य था।

Keywords: बौद्ध, जैन,सिक्ख, वैष्णव कर्मकार (लोहार), नापित (नाई), कूर्मि (कृषक), निषाद (मल्लाह), चर्मकार

Introduction

अंग्रेजों से लोहा लेने वाली : रानी रासमणि

भारतीय सभ्यता और संस्कृति के शिल्पियों में एक यशस्वी महिला का नाम जुड़ा जिसका नाम था रानी रासमनी। इनका जन्म एक मल्लाह परिवार में सन् 1793 ई० में बंगाल के 24 परगना जिला में हुआ था। आपके पिता का नाम हरिकृष्ण दास और माता का नाम रामप्रिया था। इनके दो भाई रामचन्द्र और

गोविन्द थे। इनका विवाह कलकत्ता के एक अत्यन्त धनाढ्य जमींदार श्री रामचन्द्र दास के साथ 18वीं शताब्दी की बैशाख की आठवीं तिथि को हुआ था। 25 लाख मुद्रा की लागत से कलकत्ते में स्कूल स्ट्रीट पर बने महल में रासमनी ने सन् 1821 में गृह प्रवेश किया। 1823 में इनके पिता का तथा 1836 में इनके पति का स्वर्गवास हो गया। अतः रानी रासमनी 43 साल की आयु में विधवा हो गयीं। रानी की चार

पुत्रियाँ थी। उनके दामादों का नाम था हरि रामचन्द्र, प्यारे मोहन चौधरी तथा मथुरानाथ। सन् 1831 में करुणामयी के देहावसान के कारण रानी की चौथी पुत्री जगदम्बा का विवाह श्री मथुरानाथ के साथ ही कर दिया गया था। रानी समनी बचपन से ही धार्मिक स्वभाववाली न्यायप्रिय, निर्भीक एवं स्वाभिमानी महिला थीं। इनमें राष्ट्रीय भावना कूट-कूट कर भरी हुयी थी। एक बार सन् 1838 में रानी ने अपने कुल देवता रघुनाथ जी के लिये चाँदी का रथ बनवाने का निश्चय किया जिसको मथुरा बाबू ने एक विदेशी जौहरी हेलिलटन से बनवाने का प्रस्ताव रक्खा। किन्तु रानी ने उसे एक भारतीय कारीगर से ही बनवाना उचित समझा। इस रथ में एक लाख 20 हजार 15 रुपये खर्च हुआ था। एक दूसरी घटना भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है। एक बार दुर्गा पूजा के दिन गंगा स्नान के लिये लोग बाजा गाजा के साथ जा रहे थे, उन्हें अंग्रेजों ने निकलने से रोक दिया था। इस बात की सूचना पाने पर रानी ने उस जुलूस को और अधिक गाजे-बाजे के साथ निकलवाया। अंग्रेजों ने रानी पर शान्ति भंग का आरोप लगाकर 50 रुपया का जुर्माना लगा दिया, जिसे रानी ने अदा कर दिया परन्तु अंग्रेजों को सबकसिखाने के लिये उन्होंने जाम बाजार से बाबू घाट तक का रास्ता उनके लिये बन्द कर दिया। गोरे सरकार के विरोध करने पर उन्होंने कहलवाया कि अपनी जमीन पर सब कुछ करने का उन्हें अधिकार है। रानी द्वारा लिये गये इस कठोर कदम के आगे अंग्रेजी सरकार ने घुटने टेक दिये और 50 रुपये का जुर्माना वापस कर क्षमा माँगी। रानी ने बहुत से धार्मिक और जनकल्याण कार्य भी किये थे। एक बार नदी में तूफान आने पर बहुत से गरीब लोगों के घर उजड़

गये। उन सबके घर को रानी ने अपने खर्च से बनवाया था। कोना गाँव में उन्होंने स्थानीय लोगों की सुविधा के लिये घाट तथा विश्राम स्थल आदि बनवाया था तथा मधुमती नदी को नहर के द्वारा नवगंगा से जोड़कर उस क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था करायी थी। सोनायीबिलियाघाट, भवानीपुर तथा काली घाट मुहल्लों का निर्माण रानी द्वारा ही किया गया था। वर्तमान कलकत्ता नगर हुगली नदी के किनारे जिन तीन स्थानों को मिलकर बसाया गया था उनके नाम थे कालीकाता, गोविन्दपुर तथा शुमाटी और यह सम्पूर्ण भूमि रानी रासमनी की सम्पत्ति थी। रानी अन्य धर्म के अनुयायियों की भी सहायता किया करती थीं। उन्होंने बहुत से बौद्ध मठों का निर्माण करवाया था।

एक बार अंग्रेजी सरकार ने कलकत्ता में जान्हवी नदी में मछली मारने पर कर लगा दिया, जिससे गरीब मछुआरों पर आर्थिक संकट आ पड़ा। इस बात की सूचना जब रानी को मिली तो उन्होंने नदी के समस्त क्षेत्र को पट्टे पर ले लिया तथा चारों तरफ से जंजीर खिचवाकर अंग्रेजों के जहाज के आवागमन को रोक दिया। अंग्रेजों का जहाज अब न कलकत्ता पहुँच सकता था और न वहाँ से जा सकता था। इससे अंग्रेजों में जबरदस्त खलबली मच गयी। उन्होंने अन्ततोगत्वा रानी से समझौता किया तथा जलकर समाप्त कर दिया। दक्षिणेश्वर में रानी रासमनी ने एक भव्य काली मन्दिर का निर्माण करवाया था। परन्तु इस मन्दिर में कोई भी ब्राह्मण पुजारी के कार्य को करने के लिये तैयार नहीं हुआ क्योंकि रानी रासमनी मल्लाह जाति की थी। ऐसी सामाजिक व्यवत्त्वानि:सन्देह दुखद थीं। विशेषकर रानी रासमनी के विषय में जिन्होंने धर्म की स्थापना के लिये बंगाल

में बड़े-बड़े कार्य किये थे। अंग्रेजी सर धर्म से मुठभेड़ लेने की किसी में भी ताकत नहीं थी जबकि रानी राससरकार एक छोटी जाति एवं महिला होते हुये भी अंग्रेजों को कई मौके पर घुटने टिकवा दिये। राष्ट्र भक्त एक वीर और धार्मिक महिला पर बंगाल के उच्च वर्ग को गर्व करना चाहिये था। उसके बनवाये हुये मन्दिर के पुजारी पद के लिये ब्राह्मणों में होड़ लग जानी चाहिये थी। परन्तु ऐसा कुछ नहीं हुआ। उत्साहीं मथुरा बाबू के प्रयासों के फलस्वरूप पास के क्षेत्र से रामकृष्ण का पता लगा जो छोटी उम्र के एक गरीब ब्राह्मण थे तथा पुजारी बनने के लिये राजी थे। रानी रासमनी के मन में किसी भी समाज के प्रति विद्वेष की भावना नहीं थी। अतः रामकृष्ण को उन्होंने अपने मन्दिर में पुजारी ही नहीं बनाया बल्कि हर प्रकार से सहायता भी की थी।

भारतीय संस्कृति धर्म और सभ्यता का सारे में विश्व में धूम मचाने वाले स्वामी रामकृष्ण परमहंस तथा उन्हीं के समतुल्य उनके शिष्य स्वामी विवेकानन्द को स्थापित कर रानी रासमनी स्वदेव भारतीय गौरव की प्रतीक तथा मानव को सद्भावना एवं विश्व-बन्धुत्व की ओर ले जाने वाली शौर्य की प्रतीक बन गई।

अमर शहीद विरसा मुण्डा

विरसा मुण्डा एक ऐसे साहसी वीर पुरुष थे, जिनका नाम छोटा नागपुर में रहने वाले लाखों आदिवासियों के हृदय में आज भी प्रेरणा का स्पंदन कर रहा है। अपनी गिरफ्तारी के बाद रांची जेल में मिलने गये अपने साथियों से विरसा ने कहा था— षैं फिर वापस आऊँगा, अंग्रेज पादरी, राजा, जमींदार, ठेकेदार, महाजन, हाकिमों को उखाड़ फेंकने के लिये एक स्वतंत्र मुण्डा राज्य की पुर्नस्थापना के लिये हमारी

लड़ाई समाप्त नहीं हुई है। मैं लौटूँगा, बार-बार उन गुलाम मुण्डा आदिवासियों की मुक्ति आन्दोलन के लिये। षै क्रान्तिकारी विरसा मुण्डा का जन्म 15 नवम्बर 1875 ई० में रांची के बम्बा गाँव में हुआ था। उनके पिता का नाम सुगना मुण्डा और माँ का नाम करमी था। सुगना मुण्डा उलीहातु गाँव के निवासी थे, परन्तु काम की तलाश में जब वे बम्बा आये तो वहीं विरसा का जन्म हुआ। विरसा की अपनी प्रारम्भिक शिक्षा अपने मामा के यहाँ गाँव अयुबहातु के शिक्षक जयपाल नाग और बुर्जु मिशन के लोअरप्राइमरी स्कूल में हुई थी। बाद में वह शिक्षा के लिये चाईबासा स्थित जी०ई०एल० मिशन गये। 1869 में अंग्रेज सरकार ने कानून पास किया कि 2882 गांव के भूमिहार व जमींदार, आदिवासियों को उनकी जमीन वापस कर देंगे। कानून के बावजूद जमींदारों ने कब्जा की हुई इस जमीन को वापस करने से मना कर दिया। बाद में मिशन व अंग्रेज शासन ने जमींदारों को नाराज करने का इरादा बदल दिया और आदिवासियों की समस्या यथावत बनी रही। सरदार आन्दोलन फिर से सुगबुगाने लगा। आदिवासी सरदारों ने कमीशन को अर्जी दी और अदालत का दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई लाम नहीं हुआ। कैथोलिक चर्च के पादरी खियेमयस ने मुण्डा, होरो, उरावो इत्यादि आदिवासियों को सहयोग दिया और सामन्तों के विरुद्ध अपनी जमीन वापस लेने की लड़ाई फिर से प्रारम्भ हो गई। लोग ईसाई धर्म से जुड़ने लगे। छोटा नागपुर के कमीशनर ने जमींदारों से साँठगाँठ की। फिर भी वे जमीन वापस करनेको तैयार नहीं हये। अंग्रेज जमींदारों के सहारे भारत पर राज्य करना चाहते थे और आदिवासियों की लड़ाई इन सामन्तों, जमींदार

करता महाराजाओं के विरुद्ध थी। सन् 1890 में सरदार आन्दोलन का रूप व्यापक हो गया। इन्होंने घोषणा की कि ईसाई मिशनरियाँ भी अब आदिवासियों के विरुद्ध हो गई हैं तथा जमींदारों और महाजनों का सहयोग दे रहीं हैं। इनसे कुछ भी आशा करना बेकार है। अतः आदिवासियों को अपने पैरों पर खड़े होकर अपना अधिकार युद्ध स्वयं चलाना होगा तथा आदिवासियों और मूलवासियों को संगठित होकर अपने हकों के लिये एक साथ लड़ना होगा। उसने संकल्प किया कि अपनी मातृभूमि की आजादी के लिये वह इस महान कार्य को करेगा तथा सामन्तों के चंगुल से अपनी जमीन मुक्त करायेगा।

एक दिन एक पादरी ने कहा ष्णुण्डा सरदार सभी ठग हैं। इन गोंड, गैंगवार, उरावों पर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता। इस पर विरसा ने विरोध में उठकर तुरन्त जवाब दिया कि ष्णुण्डा, उराव, कोल, गोंड, गमार, धनुवार, विझवार इत्यादि जातियाँ चोरी नहीं करती और ठगी भी नहीं करती। ठग वहीं जो मुण्डा सरकार को ठगता है, उनकी खूँट तथा झार काटी हुई जमीन को धोखे से अपने नाम करा लेता है। जिन जमींदारों के पास आज हजारों एकड़ जमीन है, क्या उनमें से किसी ने खूँट काट करके इस प्रकार की जमीन तैयार की है। उसके इस जवाब से उसे स्कूल से निकाल दिया गया। इस बीच अंग्रेज सरकार ने उस क्षेत्र के आदिवासियों की सारी जमीन को वन विभाग की जमीन घोषित कर आदिवासियों का हक छीन लिया। इससे उस क्षेत्र के साधारण किसान व आदिवासियों के बीच खलबली मच गई। संथाल, बिरहर, खैरावा, लोचा, मुण्डा, होरो, उराव, भूमिच, महती (कुर्मी), गौड़, कमर, निषाद इत्यादि सारे

आदिवासी समुदाय विरोध में एकजुट होने आ गये और सब-कुछत्यागकर आदिवासी सरदारों के आन्दोलन में कूद लगे। विरसा को यह खबर मिलते ही वह 1894 ई० में चाईबासा वापसपड़े। विरसा ने अध्ययन करते समय ही देख लिया था कि सभी साहब-साहब एक जैसे हैं। राजा, जमींदार, हाकिम, महाजन और सूदखोर सभी आदिवासियों को लूटते हैं। अतः उसने तय किया कि इन सबसे निबटने के लिये सबसे पहले आदिवासियों को जाग्रत करना होगा। इस उद्देश्य के लिये सन् 1895 ई० में विरसा खूँटे सब-डिवीजन के चलकद के जंगलों में एक नये धर्म की नींव रखकर धर्मयुद्ध की घोषणा करके संघर्ष के लिये निकल पड़े। उसने कसम खाई कि इस धरती से वह अंग्रेजी साम्राज्यवादियों और उनके तथाकथित पिट्दूओं को नष्ट करके मुण्डा राज्य की स्थापना करेगा।

मुण्डाआन्दोलन शुरू हो गया। बिरसा के इस विद्रोह ने अंग्रेज और सामन्तों को अपना निशाना बनाया, उसकी बढ़ती हुई लोकप्रियता ने साम्राज्यवादियों और उनके लोगों की नींद हराम कर दी। रांची में कमिश्नर सहित सभी उच्चाधिकारियों की बैठक हुई। विरसा को गिरफ्तार करने का भार सुपरिन्टेन्डेन्टमोथस को सौंपा गया। सामन्तजगमोहल की गुप्त सूचना के आधार पर आधी रात को बिरसा को सोते हुये गिरफ्तार कर लिया गया। बिरसा को खूँटी जेल में न रखकर रांची जेल भेज दिया गया। जहाँ उसकी दो वर्ष की कैद हुई, लोगों ने विरसा के पकड़ने पर जेल भरो आन्दोलन चला दिया। बिरसा को 30 नवम्बर 1896 को हजारीबाग जेल से रिहा किया गया। इसके बाद 1896 तक विरसा ने संगठन शक्ति को मजबूत किया।

सारे आदिवासियों ने विरसा को अपना नेता माना तथा अंग्रेजों और सामन्तों के कानून को मानने से इनकार कर दिया। विरसा ने अपने समाज की मान-प्रतिष्ठा को ध्यान में रखकर चेतना जगाने के लिये बार-बार इस बात को दोहराया कि राजा और जमींदार लोग हमारा रक्त चूसकर हमें सूखा और काला कर देते हैं। हमारा काम वेट-बेगार करना बताया गया है। हमें धोती, कुर्ता, जूता, छाता रखना निषेध रखा गया है। यह केवल इसलिये कि राजा जमींदार लोगों के फेंके हुये कपड़े और झूठा खाना खाकर हम किसीतरह से जिंदा बने रहें और इनकी वेट-बेगारी करते रहें। कांसे के बर्तन में खाना खाने का हमारा कोई अधिकार नहीं है। इन सबका हमें विलीन 1 करना है। क्या तुम कमजोर लोगों में इस तरह का साहस बन सकीरोधविश्सा ने आगे कहा कि तुम्हारी जमीन आँधी में धूल की तरह से उड़ गई है यदि इसे पुनः जाग्रत नहीं करोगे तो तुम अपनी बहू-बेटियों की इज्जत कैसे बचाओगे। विरसा ने आन्दोलन के शुरू में ही लड़कियों और औरतों को जंगल में भेज दिया। दिसम्बर 1897 में बरताडीह के ढोका मुण्डा के घर विरसा ने अपनी एक गुप्त बैठक को सम्बोधित करने के लिये कहा कि अब खुलकर लड़ाई होगी। मुण्डा को राजनैतिक प्रचार का अगुवा नियुक्त किया गया। सभी धर्मप्रमुखों को विद्रोह का वातावरण तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। फरवरी 1898 में डोम्बरी में एक जनसभा हुई, जिसमें तैयारी को ध्यान में रखकर फिर 1899 में इसी डोम्बरी पहाड़ पर एक दूसरी बैठक हुई। युद्ध की सारी तैयारी कर यह फैसला हुआ कि पहले अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी जायेगी तथा बाद में जमींदारों और सामन्तों से निबटा जायेगा। यह सभा

ब्रितानियाझण्डे को आग लगाकर स्वतंत्र मुण्डा राज्य के सफेद झण्डे का खुले आसमान में फहराने और लोगों को युद्ध करने के लिये शपथ दिलाई। यह भी तय किया गया कि आज से मुण्डावालों में कंधी नहीं करेंगे, शरीर में गहने व फूल नहीं पहनेंगे और न ही नृत्य करेंगे। इस तरह 24 दिसम्बर 1899 को रात में तौर चलाना, आग की मशाल जलाना शुरू हो गया और रातों-रात कई मिशन व अंग्रेजों के दफ्तर जला दिये गये। इस आन्दोलन की चपेट में आकर कुछ सामन्त और जमींदार भी झुलसे। रांची, सिंहभूमि, रायगढ़, सरगुजा, वीरभूमि, बांकुरा, संधाल, परगना चारों तरफ एक बार हाहाकार मच गया। विरसा को पकड़ने के लिये ब्रिटिश सरकार ने अपना हा जोर लगा दिया। जमींदार, सामन्तों ने भी खुलकर ब्रिटिश सरकाराज निकल पड़ी, लेकिन उसको पकड़ने में असफल रही। विरसा ने रोगोतो – सहयोग किया। जारी दाराला में विरसा को ढूँढने के लिये फौजें निकल पड़ी, लेकिन उसको पकड़ने में असफल रही। विरसा ने रोगोतोग्राम में अपनी अन्तिम बैठक रखी। संकल्प के लिये कुल्हाड़ी की धार से अपना हाथ काटकर सैकड़ों लोगों के खून का टीका किया। विरसा ने उस दिन कहा कि यह बड़े जमींदार, भुईहार, ठेकेदार, महाजन व पुरोहित लोग अंग्रेजों से भी बड़े शत्रु हैं जिसके सहारे यहाँ पर अंग्रेज लोग पनप रहे हैं। इनके विरुद्ध भी हमें एकजुट होकर संघर्ष करना है अपनी मातृभूमि की आजादी के लिये। 1 जनवरी 1900 को डोम्बरी पहाड़ पर अन्तिम निर्णायक लड़ाई हुई। कमिश्नर को सूचना मिली कि विद्रोही डोम्बरी पहाड़ पर जमा होकर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। स्ट्रीटफील्ड ने कम समय में ही समूचे पहाड़ को

घेरकर विद्रोहियों को आत्मसमर्पण करने आदेश दिया। विरसाईयों ने आत्मसमर्पण करने से मना कर दिया। गोलियों का जवाब तीर और पत्थरों से दिया जाने लगा। जिसमें सैकड़ों लोग शहीद हुये। अंग्रेजों ने 13 से 16 जनवरी तक विरसा को पकड़ने के लिये श्बीटएण्डसर्चश का विशेष अभियान चलाया। आखिरकार धन के लालची गद्दार साथियों के कारण विरसा धोखे से पकड़ा गया तथा बन्द गाँव में गिरफ्तार हो गया। उसने 9 जून 1900 को जेल में दम तोड़ दिया। भारत सरकार ने रांची के विरसा कृषि विश्व विद्यालय की स्थापना कर विरसा की याद में एक अच्छा कार्य किय

(अ) पुस्तकें:-

1. निषादों का इतिहास – नन्दराम निषाद
2. धीवर जाति प्रकाश बाबा बाथमदास सैलानी
3. हिन्दू सभ्यता डा०बालमुकुन्दमुकर्जी
4. निषाद सभ्यता – राधेश्याम
5. राजपूताने का इतिहास – कर्नलटाड
6. जाति भास्कर – पं० ज्वाला प्रसाद
7. प्राचीन मय सभ्यता के०एस०केनसरन
8. ऋग्वेद
9. बाल्मीकि रामायण महर्षि बाल्मीकि
10. महाभारत महर्षि वेदव्यास
11. श्रीमद्भागवदगीता

*Corresponding Author: Dr. Bhavna Lal

E-mail: bhawanalal085@gmail.com

Received: 02 August,2025; Accepted: 22 September,2025. Available online: 28 September, 2025

Published by SAFE. (Society for Academic Facilitation and Extension)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 International License

